# अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 43 में परिवर्तित

अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 (ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 मे परिवर्तित) के द्वारा , राव दान सिंह, विधायक एवं दो विधायकगण दक्षिण हरियाणा मे किसानों की बाजरे की फसल मे कीडा लगने से बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि प्रदेश मे विशेषकर दक्षिणी हरियाणा मे किसानों के बाजरे की फसल मे कीडा लग गया है जिसके कारण बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसाना हुआ है। किसानों के बाजरे की फसल पकने की कगार पर है लेकिन यह कीडा फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पंहुचा रहा है। एक-1 सिरे मे चार से पांच कीडे तक लगे हुए है जिसके कारण बाजरे की फसल मे 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। किसानों का आस थी कि उनकी बाजरे की फसल अच्छी होगी लेकिन अचानक कीडा लगने के कारण किसानों क बाजरे की फसल को बहुत क्षति हुई है। किसान सरकार की तरफ आस लगाये बैठे है कि सरकार किसानों का साथ देगी और उनके नुकसान की भरपाई करते हुए उनको उचित मुआवजा देकर आर्थिक मदद करने का भी काम करेगी लेकिन सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नही दिया गया है

अतः माननीय विधायक सरकार से मांग करते है कि इस विषय पर सदन मे अल्पअवधि चर्चा करवाई जाये।

**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26**

**ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 43 के साथ संलग्न**

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26 के द्वारा, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ने दक्षिण हरियाणा विशेष कर भिवानी, महेन्द्रगढ और रेवाडी आदि जिलों में बाजरे की फसल में सुंडी(कैटरपिलर) कीडे के आक्रमण से हुए भारी नुकसान के बारे मे अवगत करवाना चाहती हूं। यह फसल लगभग तैयार होने की कगार पर है लेकिन इस कीडे के भंयकर आक्रमण से लगभग तीन चैथाई फसल का नुकसान हो चुका है। एक-एक सिरे पर चार से पांच-पाच कीडे लग गये है जिससे बाजरे की 40 से 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। परन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई भी स्पेशल गिरदावरी और आर्थिक नुकसान की भरपाई की घोषणा नही की गई है। मै संदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि स्पेशल गिरदावरी कराते हुए नुकसान की भरपाई के लिये शीध्र घोषणा करे ताकि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान के बोझ से बचाया जा सके।

अतः माननीय सदस्या अध्ययक्ष महोदय से अनुरोध करती है की इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री सदन के पटल पर उचित मुआवजा देने की घोषणा करे।

**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45**

**ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 43 के साथ संलग्न**

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने बाजरे की फसल पर कुतरा नाम की सुंडी की वजह से जिला सिरसा , फतेहाबाद, हिसार आदि में लगभग शत्-प्रतिशत फसल खत्म होने की कगार पर है। यह सुंडी जिस बाजरे के पौधे को लग जाती है उसको समाप्त करके छोडती है और साथ-साथ अण्डे आदि देकर दुसरी सुंडीयां एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर फसल के नुकसान करने के काबिल हो जाती है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को इस बारे में कोई उचित राय न देकर प्रत्येक किसान को राम भरोसे छोड दिया है। सरकार ने इसके बारे बाजरे की फसल के नुकसान का कोई संज्ञान नही लिया और न ही स्पेशल गिरदावरी और नुकसान की भरपाई के लिये किसान के आर्थिक बोझ की सहायता के लिये कोई घोषणा की है । माननीय मुख्य मंत्री इस बारे सदन मे अपना वकतव्य दे।

## श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य

महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार, वर्तमान में बाजरे की फसल राज्य के 13 जिलों नामत: महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद में 11,89,214 एकड़ क्षेत्र में बोई गई थी । चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार ने दिनांक 12.07.2023 को बालों वाली सुंडी के प्रबंधन के लिए एक सलाह जारी की थी।

हेलिकोवर्पा आर्मिज़ेरा (अमेरिकन सुंडी) के प्रकोप पर सीसीएसएचएयू ने 8 अगस्त 2023 को महेंद्रगढ़ के अटेली खंड के 20 स्थानों पर विशेषज्ञों के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया। इन 20 स्थानों में से 18 पर अमेरिकी सुंडी का हमला 0-25% के बीच देखा गया। विशेषज्ञों ने देखा कि जहां यह सुंडी आमतौर पर कपास , टमाटर और चने की फसलों पर हमला करती है , वहीं इसने मई और जून, 2023 में बोई गई बाजरा की फसल पर हमला किया है। हरियाणा में बुआई के लिए सीसीएसएचएयू का मानक अनुशंसित समय जुलाई के पहले पखवाड़े में है, परंतु पूरे अटेली खंड में तुलनात्मक रूप से बहुत जल्दी यानी मई के आखिरी सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह में फसल बोई गई थी।

अमेरिकन बॉलवर्म का प्रकोप महेंद्रगढ़ , भिवानी, रेवाडी, चरखी दादरी और झज्जर जिलों में भी देखा गया। सीसीएसएचएयू, हिसार द्वारा दिनांक 09.08.2023 को कृषि विभाग को एक सलाह जारी की गई थी और सभी जिला मुख्यालयों को इसे उपचारात्मक/सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के लिए अवगत कराया गया था।

बाजरे की फसल में हेलिकोवर्पा आर्मिज़ेरा सहित कीड़ा-कीट की निगरानी और नियंत्रण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य में नीचे दिए गए विवरण अनुसार जागरूकता अभियान भी आयोजित किए:-

| क्र.सं. | जिला | शिविरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | भिवानी | 622 |
| 2 | चरखी-दादरी | 113 |
| 3 | झज्जर | 428 |
| 4 | रेवाड़ी | 348 |
| 5 | गुरूग्राम | 18 |
| 6 | महेंद्रगढ़ | 264 |
| | कुल | 1793 |

विभाग द्वारा प्रभावित जिलों को 17 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया । फसल की ऊंचाई लगभग 7-9 फीट होने के कारण फसल पर स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने का प्रयास अव्यावहारिक पाया गया क्योंकि अधिक ऊंचाई से स्प्रे करने पर स्प्रे प्रभावी नहीं होता ।

सीसीएसएचएयू, हिसार द्वारा जारी सलाह अनुसार , केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड , भारत सरकार द्वारा बाजरे की फसल में किसी भी रसायन की सिफारिश नहीं की है , लेकिन कुछ कीटनाशक हैं जिन्हें सीसीएसएचएयू, हिसार के प्रथाओं के पैकेज के अनुसार हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा के प्रबंधन के लिए कपास और चने की फसलें में अनुशंसित किया है । सीसीएसएचएयू, हिसार ने स्पष्ट रूप से सलाह दी कि अनाज भरने के चरण में या परिपक्व होने वाली फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने से अनाज और चारे पर अवशिष्ट प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार कीट के हमले के कारण बाजरे की बुआई के कुल 11,89,214 एकड़ क्षेत्र में से 3,02,344 एकड़ क्षेत्र प्रभावित पाया गया है। यह नुकसान 6 जिलों नामत: महेंद्रगढ़ (कुल बोये गए 2,49,655 एकड़ क्षेत्रफल में से 1,15,950 एकड़ प्रभावित), चरखी-दादरी (कुल बोये गए 1,55,000 एकड़ में से 34,225 एकड़ प्रभावित), रेवाड़ी (कुल बोये गए 1,81,622 एकड़ में से 53,127 एकड़ प्रभावित), भिवानी (कुल बोये गए 1,70,075 एकड़ में से 81,500 एकड़ प्रभावित), झज्जर (कुल बोये गए 56,000 एकड़ में से 12,600 एकड़ प्रभावित) और गुरुग्राम (कुल बोये गए 1,75,120 एकड़ में से 4,942 एकड़ प्रभावित) बताया गया है।

जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करवाया है, उन्हें फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम के आधार पर फसल की उपज का आकलन करने के बाद बाजरे की उपज में नुकसान की भरपाई की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनके घर , पशुधन, फसलों और वाणिज्यिक चल संपत्ति के संबंध में क्षति/नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, क्षति के सत्यापन और समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल https://eskhipurti.harana.gov.in/ लॉन्च किया है। जनता के लिए अपने दावे अपलोड करने के लिए पोर्टल 25 अगस्त 2023 तक खुला था।

क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों अनुसार , कीट के हमले के कारण 19 जिलों नामत: अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर के 56,366 किसानों ने 2,00,566.08 एकड़ क्षेत्र के लिए बाजरे की फसल के नुकसान हेतु मुआवजे का दावा अपलोड किया है।

कीट के हमले के अलावा अन्य कारणों से बाजरे की फसल को हुए नुकसान के लिए राज्य के सभी जिलों में 8,755 दूसरे किसानों ने 14,479.79 एकड़ क्षेत्र में मुआवजे के दावे अपलोड किए हैं । हरियाणा सरकार के मानदंडों/निर्देशों अनुसार चल रही सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त मुआवजे का वितरण तुरंत किया जाएगा। बाजरे की फसल में नुकसान चाहे कीट हमले से हुआ हो या बाढ़ के कारण हुआ हो , राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) मुआवजा मानदंड (प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन) निम्नानुसार हैं:-

| क्षति की सीमा | मुआवजे | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| ≥25 से <50% | 7,000/- रुपये प्रति एकड़ | न्यूनतम सहायता कम से कम 1,000/- रुपये प्रति किसान वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए और 2,000/- रुपये प्रति किसान सिंचित क्षेत्रों के लिए जो बोए गए क्षेत्रों तक सीमित।<br>2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को कोई न्यूनतम सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा , बीमा योजना के तहत फसल मुआवजा पाने वाला क्षेत्र एसडीआरएफ के तहत मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा। |
| ≥50 से <75% | 9,000/- रुपये प्रति एकड़ | |
| ≥ 75% और अधिक | 12,500/- रुपये प्रति एकड़ | |

**STATEMENT OF SHRI DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER**

Sir, as per the report submitted by Agriculture and Farmers' Welfare Department, Government of Haryana, the present Bajra crop was sown on an area of 11,89,214 acres in 13 districts of the State, namely, Mahendergarh, CharkhiDadri, Rewari, Bhiwani, Jhajjar, Palwal, Gurugram, Mewat, Rohtak, Hisar, Fatehabad, Sirsa and Jind. Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University (CCSHAU), Hisar on 12.07.2023 had issued an advisory for management of Hairy Caterpillars.

Upon outbreak of *Halicoverpa armizera* (American Sundi) CCSHAU conducted a survey on 8th August 2023, through experts at 20 sites in Ateli block of Mahendergarh. At 18 of these 20 sites, the attack of American Sundi was observed in the range of 0-25%. The experts noticed that while this Sundi usually attacks cotton, tomato and chick pea crops, it had attacked Bajra crop sown in May and June, 2023. CCSHAU's standard recommended time of sowing in Haryana is in first fortnight of July but in the whole of the Ateli block, the crop was sown comparatively very early, i.e., in the last week of May to 1st week of June.

The outbreak of American bollworm was also observed in the districts of Mahendergarh, Bhiwani, Rewari, Charkhi Dadri and Jhajjar. An advisory was issued by the CCSHAU, Hisar on 09.08.2023 to Agriculture Department and it was conveyed to all the district headquarters for adopting remedial/protective measures.

The Agriculture and Farmers' Welfare Department also organized awareness campaigns in the State for monitoring and control of Insect-pest including *Halicoverpa armizera* in Bajra crop as per the details given under.

| S No | District | No. of Camps |
|---|---|---|
| 1 | Bhiwani | 622 |
| 2 | Charki-Dadri | 113 |
| 3 | Jhajjar | 428 |
| 4 | Rewari | 348 |
| 5 | Gurugram | 18 |
| 6 | Mahendergarh | 264 |
| | **Total** | **1793** |

The Department provided a budget of Rs 17 lakh to the affected districts. Attempts to use drones to spray the crop were found impractical due to crop height of about 7-9 feet as the spray, if done from greater height, would not be effective.

As per the advisory issued by the CCSHAU, Hisar, no chemical is recommended by Central Insecticide Board, Government of India in the Bajra crop but there are some insecticides which are recommended as per Package of Practices of CCSHAU, Hisar for management of *Halicoverpa armigera* in Cotton and chickpea crops. CCSHAU, Hisar clearly advised that spraying of insecticides at grain filling stage or on crop which is about to mature, can have a residual effect on grains and fodder, consequently, will have a hazardous impact on human beings and animals' health.

As per the information submitted by Agriculture and Farmers' Welfare Department, out of the total area of 11,89,214 acres sown with Bajra, 3,02,344 acres have been found to be affected due to the pest attack. This damage has been reported in the 6 districts namely, Mahendergarh (1,15,950 acres affected out of a total area of 2,49,655 acres sown), Charki-Dadri (34,225 acres affected out of 1,55,000 acres sown), Rewari (53,127 acres out of 1,81,622 acres sown), Bhiwani (81,500 acres out of 1,70,075 acres sown), Jhajjar (12,600 acres out of 56,000 acres sown) and Gurugram (4,942 acres out of 1,75,120 acres sown).

For the farmers who have purchased the insurance cover under the Prime Minister Fasal Bima Yojna (PMFBY), the loss in Bajra yield will be compensated under the same, after assessing the yield of crop, based on the result of crop cutting experiments.

To ease the process of submission of claims for affected persons and families, for damage/loss in respect of their house, livestock, crops and commercial moveable property and to ensure transparency in damage verification and disbursement of compensation to the affected people through Direct Benefit Transfer (DBT) in a time bound manner, the State Government has launched a dedicated portal i.e.https://eskhatipurti.haryana.gov.in/. The portal was open till 25th August 2023 for public to upload their claims.

As per the data, available in the Kshatipurti portal, 56,366 farmers have uploaded compensation claim for damage to bajra crop for an area of 2,00,566.08 acres in 19 districts namely, Ambala, Bhiwani, Charkhi Dadri, Faridabad, Fatehabad, Gurugram, Hisar, Jhajjar, Jind, Kaithal, Mahendergarh, Mewat, Palwal, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonepat and Yamuna Nagar, due to pest attack.

Another 8,755 farmers have uploaded compensation claims for damage to bajra crop for an area of 14,479.79 acres in all districts of the State, due to reasons, other than pest attack. The disbursement of compensation will be taken up immediately upon completion of the ongoing verification process as per the norms/instruction of the Haryana Government. Whether there is a damage due to pest attack or due to floods, the State Disaster Response Fund (SDRF) compensation norms for Bajra crops (subject to a ceiling of 2 Ha per farmer) is as below.

| Extent of Damage | Compensation | Remarks |
|---|---|---|
| ≥25 to <50% damage | Rs.7,000/- per acre | Subject to a minimum assistance of not less than Rs.1,000/- per farmer in rainfed areas and Rs.2,000/- per farmer in assured irrigated areas and restricted to sown areas. No minimum assistance will be provided to farmers having more than 2 ha landholding. Further, the area getting crop compensation under insurance scheme shall not be eligible for compensation under SDRF. |
| ≥50 to <75% damage | Rs.9,000/- per acre | |
| ≥ 75% and above | Rs.12,500/- per acre | |